रजिस्ट्री सं. डी.-(डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 1990/भाद्र 9, 1912
No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 1990/BHADRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

—त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1990

विषय :—जी.एल.-3 के अन्तर्गत कतिपय यार्न, फैब्रिक्स तथा मेडअप मदों के उन देशों को होने वाले निर्यातों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों जहां पर ऐसे निर्यात कलैण्डर वर्ष 1991—93 के लिये मात्रा संबंधी नियंत्रण के अधीन हैं।

(1) प्रस्तावना :

सं. 1/4/90-ईपी(टी एण्ड जे) 1(वस्त्र).—यार्न, फैब्रिक्स तथा मेडअप्स के संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आस्ट्रिया, फिनलेंड, स्वीडन तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के संबंध में ओ जी एल-3 में दिये गये उपबंधों के अनुसार, वर्ष 1991 से 1993 के लिये हकदारियों के आवंटन संबंधी नीति (जिसे इसके बाद आवंटन नीति कहा गया है) वह होगी जो इसमें इसके नीचे दी गई है। किन्तु वार्ताओं के उरूग्वे दौर के नतीजों और मध्य प्रदेश के भविष्य के आधार पर आवश्यकतानुसार इस नीति में संशोधन का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

(2) प्रशासन :—

जब तक अन्यथा विदिष्ट न हो, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (टेक्सप्रोसिल) के कार्यकारी निदेशक, ऊनी यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड अप्स को छोड़कर जिसके लिए आवंटन सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (डब्ल्यू एण्ड डब्ल्यूईपीसी) द्वारा किया जाएगा, सभी यार्न, फैब्रिक्स तथा मेड अप्स संबंधी हकदारी निर्धारित करेंगे। जबकि ऐसे सभी निर्यातों के लिए टेक्स-प्रोसिल आवश्यक प्रमाण पत्र देगा।

(2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल तथा सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का अभिप्राय यह होगा और उसमें ऐसे अन्य अधिकारियों को शामिल करेगी जिन्हें वो ऐसे कार्य तथा उत्तरदायित्व अंशतः अथवा पूर्णतः स्पष्टतया अथवा अन्यथा प्रत्यायोजित करें।

(3) कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल तथा सचिव, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद उनके द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आवंटन नीति के क्रियान्वयन के लिये वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के किन्हीं भी उपबन्धों के निर्वाचन के संबंध में अन्तिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन

235 GI/90

प्राधिकरणों, उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशतः अथवा पूर्णतः पुन आबंटित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(5) निर्यात हकदारियों का आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को किया जाएगा जो आयात-निर्यात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

3. आधार अवधि :

किसी वर्ष के लिये "आधार अवधि" वाक्यांश इस अधिसूचना में जहां कहीं आया हो, उसका अभिप्राय उन दो कैलेण्डर वर्षों से होगा जो उस आबंटन वर्ष से एक वर्ष पहले आए हों। उदाहरणार्थ वर्ष 1991 के लिये आधार वर्ष 1988 तथा 1989 के वर्ष होंगे।

4. आबंटन की प्रणाली :

प्रत्येक आबंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आबंटन, निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार उनके सामने विनिर्दिष्ट दरों पर खण्ड 16 के अध्यधीन किया जायेगा।

प्रणाली	वार्षिक स्तर की प्रतिशतता
क. विगत कार्य निष्पादन हकदारी (पीपीई)	40%
ख. संविदा आरक्षण हकदारी (सीआरई)	25%
ग. सरकारी क्षेत्र हकदारी (पी एस ई)	3%
घ. पहले आओ पहले पाओ प्रणाली (एफसीएफएस)	20%
ङ. विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणाली	12%
योग	100%

(1) उपरोक्त के अलावा, अभ्यर्पणों, लोचशीलताओं अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप समय-समय पर जो मात्रा उपलब्ध होगी उसका आबंटन भी पहले आओ पहले पाओ की प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) मांग पैटर्न में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियां आबंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित है।

5. भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, यह विनिश्चय कर सकता है कि यदि वह इस बात से सन्तुष्ट है कि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के लिए या तो मूल आबंटन द्वारा अथवा अभ्यर्पण/लोचशीलता आदि के कारण निर्धारित किसी भी मात्रा को अंशतः अथवा पूर्णतया किसी ऐसी दूसरी प्रणाली से आबंटित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

6. आबंटन :

आबंटन का उपयोग करने के लिए पी पी ई, सी आर ई तथा पी एस ई के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जायगा। पहली अवधि 1 जनवरी, से 31 मार्च तक होगी। दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। कम से कम 50% आबंटनों का पहली अवधि के दौरान उपयोग किया जायगा और शेष का दूसरी अवधि के दौरान एफ सी एफ एस की वैधता अवधि 90 दिन होगी, लेकिन 31 दिसम्बर के बाद नहीं होगी। किसी भी हकदारी का उपयोग न किया गया भाग खण्ड 7,8,9 तथा 12 के अध्यधीन प्रत्येक अवधि के अन्त में स्वतः अभ्यर्पित हो जायेगा।

(1) उपर्युक्त प्रणालियों में निर्धारित मात्राएं पहली अवधि में रिलीज की जायेंगी। जहां तक संभव होगा ये मात्राएं पहली जनवरी को दी जायेंगी और इस प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आमंत्रित किए जा सकते हैं।

(2) एक ई एफ एस प्रणाली के तहत सम्पूर्ण मात्रा आबंटन वर्ष के प्रारम्भ में उपर्युक्त धारा 4(2) के अध्यधीन] दी जाएगी और इस कार्य के लिये आवेदन पत्र पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आमंत्रित कर सकता है।

7. विगत निष्पादन हकदारी (पीपीई)

(1) पीपीई के परिकलन के लिये अभिकरण कार्यकारी निदेशक टैक्सप्रोसिल होगा। परिकलन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा।

(2) उपलब्ध स्तरों का आबंटन आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर समानुपात किया जाएगा तथापि आबंटन को आधार अवधि के दौरान उक्त देश/श्रेणी में भारत के वार्षिक औसत निष्पादन की सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

(3) पीपीई की मूल वैधता अवधि के दौरान पीपीई को पूर्णतः या अंशतः हस्तांतरित किया जा सकता है।

(4) हस्तान्तरित पीपीई (जिसे इसके बाद पीपीई कहा जायेगा) उस आबंटन अवधि के लिये वैध होगा। जिसमें हस्तान्तरण लागू हुआ है।

(5) पीपीई के आधार पर पोत लदानों को गणना अन्तरणकर्ता द्वारा किये गये निर्यात के रूप में की जायेगी।

(6) पीपीई के अन्तरण की अनुमति नहीं है।

(7) बढ़ाई गई अवधि के दौरान पीपीई के अन्तरण की (अर्थात् पैरा 7 (2) अथवा पैरा 12(2) के अन्तर्गत अनुमति नहीं है।

8. पीपीई का अभ्यर्पण एवं विस्तार

(1) पहली अवधि के दौरान उपयोग में न लाई गई मात्रा स्वतः अभ्यर्पित की जायेगी।

(2) तथापि, दूसरी अवधि के दौरान उपयोग में न लाई गई मात्रा को नीचे उप पैरा (3) में उल्लिखित दर पर ईएमडी/बीजी द्वारा पृष्ठांकित आशय पत्र के आधार पर 31 दिसम्बर तक बढ़ाया जा सकता है।

वैधता की अवधि बढ़ाने के लिये आवेदन पत्र टैक्सप्रोसिल के पास हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान अवश्य पहुंच जाने चाहियें।

(III) ई.एम.डी./बी.जी. की दर निम्नानुसार होगी :—

मद	दर
(क) ई.ई.सी./संयुक्त राज्य अमरीका को यार्न	4.50 रुपये प्रति कि. ग्रा.
(ख) ई.ई.सी., स्वीडन तथा नार्वे को फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स	8.00 रुपये प्रति कि. ग्रा.
(ग) अमरीका तथा कनाडा को फैब्रिक्स तथा मेड-अप्स	2.00 रुपये प्रति स्क्वेयर यार्ड अथवा 2 रुपये प्रति दर्जन जैसा भी मामला हो।
(घ) कोई अन्य मद	एफ.ओ.बी. मूल्य का 20%

9. संविदा आरक्षण प्रणाली (सी.आर.ई.)

(i) सी.आर.ई. के आबंटन के लिये निर्यातक को अपने आवेदन पत्र के साथ एक फर्म आदेश प्रस्तुत करना होगा जिसकी उपर्युक्त सी.-17(3) के अनुसार ई.एम.डी./बी.जी. द्वारा पुष्टि की गई हो।

(ii) सी.आर.ई. आबंटन हस्तान्तरणीय नहीं होगा।

(iii) सी.आर.ई. के उपयोग के लिये वर्ष को दो अवधियों में बांटा जायेगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 31 मई तक होगी तथा

दूसरी अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होगी। आवंटन का कम से कम 5% अंश पहली अवधि के दौरान उपयोग किया जायेगा तथा शेष दूसरी अवधि के दौरान। पहली अवधि के दौरान जिस मात्रा का उपयोग नहीं होता है वह स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(iv) तथापि दूसरी अवधि के लिये निर्धारित की गई मात्रा को वैधता पैरा 7(3) के निर्धारित दरों के आधार पर ई.एम.जी./बी.जी. द्वारा समर्पित ऋण पत्र के आधार पर 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है। वैधता अवधि बढ़ाने संबंधी आवेदन पत्र टैक्सप्रोसिल को हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान अवश्य पहुंच जानी चाहिये।

(v) नियति अनिवार्य रूप से उपर्युक्त उप-पैरा (1) में उल्लिखित आदेश के आधार पर किया जायेगा।

(vi) मात्रा का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। वस्त्र आयुक्त अधिकतम मात्रा निश्चित कर सकते हैं जिसके लिये प्रत्येक आवश्यक देश/श्रेणी के लिये आवेदन किया जा सकता है।

अगर किसी खास दिन, अगर कुल मात्रा जिसके लिये आवेदन किया गया है, वितरण हेतु उपलब्ध मात्रा से अधिक है तो उस दिन पात्रता प्राप्त आवेदन-पत्रों में उच्चतर इकाई मूल्य के आधार पर निश्चित की जायेगी।

10. सरकारी क्षेत्र को हकदारी (पी.एस.ई.)

(i) केन्द्र/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों और सांझे सहकारी समितियों के लिये जो केन्द्र/राज्य स्तर पर विनिर्माण कर रही हैं, के लिये 3% का निर्धारण होगा।

(ii) वस्त्र आयुक्त ऐसे आवेदकों की पात्रता तथा क्षमता का मूल्यांकन करेंगे।

(iii) ई.डी. टैक्सप्रोसिल, वस्त्र आयुक्त द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर कोटा आवंटित करेगा।

(iv) पी.एस.ई. की वैधता तथा वैधता अवधि बढ़ाने की वही व्यवस्था होगी, जो सी.आर.ई. के लिये है।

11. पहले आओ पहले पाओ (एफ.सी.एफ.एस.)

(i) ई.एम.डी./बी.जी. के आधार पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मात्रा आवंटित की जायेगी।

(ii) वस्त्र आयुक्त अधिकतम मात्रा निश्चित करेंगे जिसके लिये अगर वस्त्र आयुक्त ऐसा करना आवश्यक समझें तो एक वित्तीय एक दिन में एफ.सी.एफ.एस. के अधीन प्रत्येक देश/श्रेणी के लिये आवेदन दे सकता है।

(iii) इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटन 90 दिनों के लिये वैध रहेगा, लेकिन आवंटन-वर्ष के 31 दिसम्बर के बाद नहीं। यह व्यवस्था पैरा 12 के अनुसार है।

(iv) ई.एम.डी./बी.जी. जिसके लिये आवेदन किया गया है—की दर, एफओबी मूल्य की 5% होगी।

(v) किसी विशेष दिन जब उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा आवंटित होती है, पात्रता उस तारीख को प्राप्त आवेदन पत्रों के बीच उच्चतर इकाई मूल्य आधार पर निश्चित की जायेगी।

12. विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणाली :

(i) इस प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन उन विनिर्माता निर्यातक को किया जायेगा जिन्होंने आधार अवधि के दौरान अपने संयंत्र तथा मशीनरी में ठोस रूप से प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया है। पात्रता के नियम तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को वस्त्र आयुक्त द्वारा, समय से अधिसूचित किया जायेगा।

(ii) इस प्रणाली के अन्तर्गत विनिर्माता निर्यातक को पात्रता तथा उत्पादन क्षमता निर्धारित करने का प्राधिकार वस्त्र आयुक्त को होगा।

(iii) इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटन केवल उन्हीं वस्तुओं के लिये होगा, जिनका विनिर्माण वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित आधुनिकीकृत तथा अपग्रेडिड उत्पादन एकांक में होगा।

(iv) उपलब्ध मात्रा, वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित किये गये पात्र आवेदकों को उत्पादन क्षमता के आधार पर कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल द्वारा वितरित की जायेगी। उपर्युक्त आवंटन हेतु प्रत्येक पात्र आवेदक अधिक से अधिक 15 देशों/श्रेणियों का चयन कर सकता है।

(v) जब किसी भी देश/श्रेणी में किसी आवेदक को आवंटित की गई मात्रा (वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित) बहुत ज्यादा कम होती है, कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल आवेदक के आवंटित मात्रा पर्याप्त हो।

(vi) इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटन अस्तान्तरणीय नहीं है। शिपिंग बिल की पुष्टि के समय एक हलफनामा प्रस्तुत करेंगे कि निर्यात की जा रही वस्तुओं का विनिर्माण उन उत्पादन एकांकों में हुआ है, जिनका आधुनिकीकरण उन्नयन हो गया है।

(vii) इस व्यवस्था के अंतर्गत आवंटन के लिए श्रेणियों की न्यूनतम कीमतें वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से निर्धारित की जायेंगी।

13. न्यूनतम कीमत

इन चारों व्यवस्थाओं के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त न्यूनतम कीमत निर्धारित करेंगे। न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय आधार अवधि के दौरान औसत इकाई मूल्य तथा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जायेगा।

14. प्रमाणन/पोत लदान

(1) आवंटन की सभी प्रणालियों के अन्तर्गत टैक्सोप्रोसिल द्वारा प्रमाणन की वैधता 30 दिनों के लिए होगी।

(2) आवंटन की सभी प्रणालियों में, प्रमाणन की वैधता उपर्युक्त पैरा 7(3) में उल्लिखित दरों की 50% की अतिरिक्त ई एम डी/बी जी और एफ सी पी एस के लिए पैरा 10(4) में उल्लिखित मात्रा जिसके लिए ऐसी समय-वृद्धि मांगी जाती है, टैक्सप्रोसिल को प्रस्तुत करके टैक्सप्रोसिल द्वारा और 30 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकेगी। समय वृद्धि के लिए सभी आवेदन पत्र टैक्सप्रोसिल के पास मूल प्रमाणन की वैधता अवधि के दौरान टैक्सप्रोसिल के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। (3) दिनांक 31 दिसम्बर के बाद न तो मूल प्रमाणन और न ही समय वृद्धि प्राप्त प्रमाण-पत्र वैध होगा।

15. कम कारोबार वाली मदें

(1) एक मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में तभी अधिसूचित किया जाएगा यदि आधार अवधि के प्रत्येक वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षों के लिए उपयोग आधार भूत स्तर के 75% से कम रहा है। वि ई डी टैक्सप्रोसिल उन मदों को अधिसूचित करेगा जो अधिक से अधिक पिछले वर्ष के 1 दिसम्बर से कम कारोबार वाली मदें हैं।

(2) इस अधिसूचना के किसी प्रावधानों में कोई अन्य बात सन्निहित होते हुए भी कम कारोबार वाली मद के लिए सामान्यतया, निम्नलिखित छूट दी जाएगी।

(क) एल सी एल एम के अंतर्गत आवश्यक एल सी का कोई निर्धारण नहीं होगा।

(ख) ई एम डी/बी जी की दर एफ ओ बी मूल्य के 1% होगी।

(3) किन्तु उपर्युक्त छूट अग्रिम सूचना के बिना वापस ली जा सकेगी।

16(1) एक निर्यातक जो पी पी ई एफ सी एफ एस या आर ई के अंतर्गत किसी विशेष अवधि में अथवा पी पी टी एफ सी एफ एस सी आर ई या पी एस ई सहित पी पी ई के लिए समय वृद्धि के दौरान निर्यात पात्रता के 90% से कम निर्यात करता है तो जैसी कि शर्त है उसके बाद उसकी ई एम डी/बी जी को जब्त कर ली जाएगी। ई डी/टैक्सप्रोसिल ई एम डी/बी जी को उस हालत में जब्त कर लेगा यदि अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में उपयोग 75% तक है और कम कारोबार वाली मदों के मामले में 50% तक है जो कि उपयोग में गिरावट के अनुपात में है।

यदि उपयोग उपर्युक्त से कम है तो ई एम डी/बी जी को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा।

(2) इस उद्देश्य के लिए उपयोग को प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए प्रत्येक प्रणाली और अवधि के आधार पर अलग से परिकलित किया जाएगा। वैधता/प्रमाणन का समय बढ़ाने के मामले में प्रतिशतता उपयोग को उस मात्रा के लिए अलग अलग परिकलित किया जाएगा जिसके लिए प्रमाणन/वैधता को बढ़ाया गया है।

(3) सभी जब्त ई एम डी/बी जी को सरकार के पी डी खाते में जमा कर दिया जाएगा। और उसका प्रचालन इस प्रकार होगा जैसा सरकार समय समय पर अधिसूचित करे।

(4) जिस व्यक्ति को निर्यात हकदारी आवंटित की जाती है लेकिन जो इसका पूरी तरह उपयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ की जा रही किसी कार्यवाई के संबंध में कोई पूर्वाग्रह अपनाए बिना भविष्य में इस हकदारी के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(5) जब्ती के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

17. ई एम डी/बी जी की जब्ती के खिलाफ अपील :

एक निर्यातक को जब उपर्युक्त 14 के अंतर्गत ई डी टैक्सप्रोसिल द्वारा जब्ती के आदेश द्वारा हानि पहुंचती है तो वह जब्ती संबंधी ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करेगा। अपीलों को निपटाते समय वह प्रभावी प्रमुख शर्तों यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखेगा। वह उनकी वैधता के दौरान, अनप्रयुक्त हकदारियों को सौंपने में तत्परता को भी ध्यान में रख सकता है। इस उद्देश्य के लिए वस्त्र आयुक्त स्वयं द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी को शामिल कर सकेगा और उन्हें माध्यम बना सकेगा अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दे सकता है।

18. हथकरघा उत्पाद

ऊपर अन्यत्र उल्लिखित किसी भी शर्त के होते हुए हथकरघा उत्पादों के लिए निम्नलिखित आधार पर कोटे का आवंटन किया जाएगा।

प्रणाली	प्रतिशतता
पी पी ई	40%
एफ सी एफ एस	30%
सी आर ई	30%

(2) पी पी ई तथा एफ सी एफ एस के लिए सभी आवश्यक परिवर्तन सहित हथकरघा कोटा हेतु सामान्य शर्तें लागू होंगी।

(3) इस नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए हथकरघा कोटा प्रशासनिक समिति होगी। इसमें हथकरघा उत्पादों के लिए लागू प्रावधानों और नीतियों में ढील देना भी शामिल होगा।

(क) उप सचिव/निदेशक (निर्यात)—अध्यक्ष

(ख) ई डी (टेक्सप्रोसिल)—सदस्य

(ग) ई डी एच ई पी सी—सदस्य

(घ) वस्त्र आयुक्त अथवा उनका प्रतिनिधि—सदस्य

(ङ) सचिव वस्त्र समिति या उनकी प्रतिनिधि—सदस्य

(च) जे डी सी (हथकरघा)—सदस्य

(4) एफ सी एफ एस कोटा 10% तक एच डब्ल्यू एस सी द्वारा पी एस ई एस के लिए आरक्षित होगा।

19. सीमा शुल्क द्वारा निकासी

(1) प्रतिबंधहीन उत्पाद

पोतलदान पत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति मूल रूप में निर्यात हकदारी प्रमाणन और अलग-अलग प्रेषण खेपों के लिए टेक्सप्रोसिल या इस उद्देश्य के विनिर्दिष्ट किसी अन्य उपयुक्त एजेन्सी द्वारा जारी पोत परिवहन बिलों की प्रतिलिपि के सत्यापन के बाद दी जाएगी।

(2) हथकरघा उत्पाद :

जहां तक प्रतिबंधित मदों के तत्संबंधी सभी हथकरघा फैब्रिकों/मेड अप्स के निर्यात का संबंध है सीमाशुल्क अधिकारी पोतलदान की अनुमति कम्बीनेशन फार्म के पैरा-2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर देंगे।

(3) "इंडिया आइटम्स" के अंतर्गत आने वाले मेड-अप्स

"इंडिया आइटम्स" जो भारत के परम्परागत लोकरीति के हस्तशिल्प वस्त्र उत्पाद हैं, के बारे में यू एस ए, ई ई सी कनाडा, आस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड और नार्वे को निर्यात के लिए सीमा शुल्क अधिकारी पोत लदान की अनुमति विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाणपत्रों के आधार पर देंगे।

20. निर्यात प्रमाण पत्र उद्गम प्रमाण पत्र आदि

संगत द्विपक्षीय वस्त्र करार के अंतर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाणपत्र टैक्सप्रोसिल या उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किए जाएंगे।

(1) यू एस ए

वाणिज्यिक मूल्य के सभी मिलनिर्मित पावरलूम फैब्रिकों और मेड-अप्स नमूनों के लिए वीसा और फार्म विधिवत को छोड़कर हथकरघा मेड-अप्स के लिए वीसा।

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(क) पावरलूम/मिल निर्मित वस्त्रों की सभी प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र तथा उद्भव प्रमाण पत्र।

(ख) पावरलूम/मिलनिर्मित/बुने हुए वस्त्रों की अप्रतिबंधित मदों के लिए उद्भव प्रमाण पत्र।

(3) कनाडा

मिल-निर्मित/पावरलूम/बुने हुए प्रतिबंधित वस्त्रों फैब्रिक्स के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र, सिर्फ ऐसे माल को छोड़कर जिसका मूल्य 500 कनाडियन डालर से कम हो।

(1) आस्ट्रिया

विद्युत करघा के अधीन पावरलूम-मिल-निर्मित वस्त्रों के फैब्रिक/मेडअप्स के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

(5) स्वीडन

परिमाणात्मक प्रतिबंध के अन्दर के सभी मिल निर्मित/पावरलूम/बुने कॉटन के सूती मय प्रकार के मेड अप्स के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

(6) नार्वे

श्रेणी 7 के अंतर्गत पावरलूम तथा मिल निर्मित वस्त्रों के बेडलिनेन के संबंध में उद्गम से संबंधित निर्यात प्रमाण-पत्र पत्र/उद्गम प्रमाण-पत्र।

21 हथकरघा पर छूट प्रमाण पत्र

कनाडा को प्रतिबंधित मदों से मिलते जुलते हथकरघा फैब्रिक्स/मेडअप्स आस्ट्रिया को सूती हथकरघा वस्त्र फैब्रिक्स/मेडअप्स, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमरीका को सभी हथकरघा वस्त्र तथा गेडअप्स एवं नार्वे को बेडलिनेन का निर्यात के मामले में वस्त्र समिति ऐसे उत्पादों के प्रति के विपणन कारणों से यथा निर्धारित प्रमाण पत्र जारी करेगी।

22 सरकार को बिना पूर्व सूचना के किसी भी पूर्ववर्ती व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार होगा।

23 संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति तथा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नानुसार हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
न्यू सीजीओ बिल्डिंग
न्यू मैरीन लाइन्स,
पोस्ट-बॉक्स नं. 11500
बम्बई-400020

2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
इंजीनियरिंग सेन्टर,
5वां तल, 9 मैथ्यू रोड
बम्बई-400004

3. सिल्क तथा रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
रेशम भवन, वीर नरीमन रोड,
बम्बई-400020

4. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
612/714, अशोका इस्टेट
24 बारा खम्भा रोड,
नई दिल्ली-110001

5. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्,
दुकान नं. बी.-115, सेक्टर-18,
पोस्ट ऑफिस-नोएडा,
जिला—गाजियाबाद

6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
वेस्ट ब्लाक नं. 7, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066

7. टैक्सटाइल समिति,
"क्रिस्टल"
79 डॉ. एनी बिसेन्ट रोड,
वर्ली,
बम्बई-18

पी. शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1990

Subject : Guidelines for exports under OGL-3 of certain yarn, fabrics and made-up items to countries where such exports are under quantitative restraint for the calendar years 1991—93.

(1) Introduction :

No. 1/4/90-EP(T&J)(Textiles).—In pursuance to provisions contained in OGL-3 in respect of export of yarn, fabrics and made-ups to USA, Canada, EEC, Austria, Finland, Sweden and Norway, the policy for allotment of entitlements (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1991—1993 shall be as hereinafter provided. However, depending upon the outcome of the Uruguay Round of Negotiations and the future of M.F.A., Government reserves the right to amend the policy, as necessary.

(2) Administration :

Unless otherwise directed, the Executive Director, Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) shall allocate entitlement for all yarn, fabrics and made-ups except for woollen yarn, fabrics and made-ups for which allotment will be made by the Secretary, Wool and Woollen Export Promotion Council (W&WEPC). However, necessary certification for all such exports shall be done by TEXPROCIL only.

(ii) For the purpose of the above the Executive Director, TEXPROCIL and Secretary, W&WEPC shall mean and include such other officials to whom they expressly or otherwise delegate part or whole of their functions and responsibilities.

(iii) The ED TEXPROCIL and the Secretary, W&WEPC, notwithstanding any delegation effected by them, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guide lines as it deems fit from time to time, regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities under the Import-Export Policy.

(3) Base Period :

The phrase "Base period" for an allotment year wherever appearing in this Notification shall mean the two calendar years preceding the year immediately before that allotment year. For example the base period for the year 1991 shall be the years 1988 and 1989.

(4) Systems of Allotment :

Quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them subject to Cl. 16.

System.	Percentage of Annual Level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	40%
(b) Contract Reservation Entitlement (CRE)	25%
(c) Public Sector Entitlement (PSE)	3%
(d) First Come First Served (FCFS)	20%
(e) Manufacture Exporter Entitlement (MEE)	12%
Total :	100%

(ii) Apart from the above, quantities that become available time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under FCFS System.

(iii) Government of India in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above in case it is considered so desirable in view of changes in demand patterns.

5. Government of India in the Ministry of Textiles may decide, if so satisfied, that part or whole of any of the quantities earmarked for FCFS either by way of original allocation or on account of surrender/flexibilities etc., shall be allotted in such other manner as it deems fit.

(6) Allotments :

(i) For the purpose of utilisation of allotments, the year shall be divided into two periods for PPE, CRE and PSE. The first period shall be from 1st January to 31st May. The second period shall be from 1st June to 30th September. A minimum of 50 per cent of the allotments shall be utilised during first period and the balance during the second period. The validity period of FCFS shall be 90 days, but not beyond 31st December. The unutilised portion of any entitlement shall stand automatically surrendered at the end of each period subject to Cl. 7, 8, 9 and 12.

(ii) The quantities earmarked in the above systems shall be released in the first period. As far as possible, the quantities shall be opened on 1st January and for this purpose applications may be invited during the previous year.

(iii) The entire quantity under FCFS system shall be opened at the beginning of the allotment year [subject to clause 4(ii) above] and for this purpose applications may be invited during the previous year.

(7) Past Performance Entitlement (PPE) :

(i) The agency for computation of PPE shall be E.D., TEXPROCIL. Computation shall be done in the following manner.

(ii) Available levels will be allotted pro-rata on the value of exports during the base period by the applicants in each country/category. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country/category during the base period.

(iii) PPE shall be transferable, either in full or in part, during the period of original validity of PPE.

(iv) A transferred PPE (hereinafter referred to as PPT) shall be valid for the allotment period for which the transfer is effected.

(v) Shipments against PPT shall be counted as exports by the transferee.

(vi) Transfer of a PPT is not allowed.

(vii) Transfer of PPE during the period of extension (i.e. either under Cl. 7(ii) or Cl. 12(ii)] is not allowed.

(8) Surrender and Extension of PPE :

(i) The quantity not utilised during the first period shall be automatically surrendered.

(ii) Validity of the quantity not utilised during second period, however, can be extended upto 31st December against letter of credit backed by EMD/BG at the rate mentioned in Sub-Clause (iii) below. An application for extension of validity must reach TEXPROCIL during the period of original validity of the entitlement.

(iii) The rate of EMD/BG shall be as follows :

Item	Rate
(a) Yarn to EEC/USA	Rs. 4.50 per kg.
(b) Fabrics and made-ups to EEC, Sweden and Norway.	Rs. 8.00 per kg.
(c) Fabrics and made-ups to USA and Canada.	Rs. 2/- per sq. yd. or Rs. 2/- per dozen as the case may be.
(d) Any other item.	20% of FOB value

(9) Contract Reservation System (CRE) :

(i) For allotment of CRE, the exporter will have to submit alongwith his application, a firm order, backed by EMD/BG prescribed at Cl. 8(iii) above.

(ii) A CRE allotment shall be transferable.

(iii) For the purpose of utilisation of CRE, the year shall be divided into two periods. The first period shall be from 1st January to 31st May and the second period shall be from 1st June to 30th September. At least 50 per cent of the allotment shall be utilised during the first period and the balance during the second period. Any quantity not utilised during the first period shall stand automatically surrendered.

(iv) Validity of the quantity earmarked for the second period, however, can be extended upto 31st December against letter of credit backed by EMD/BG at the rates prescribed at para 8(iii). An application for extension of validity must reach TEXPROCIL during the period of original validity of the entitlement.

(v) Exports shall be necessarily made against order referred to in Sub-clause (i) above.

(vi) Quantities shall be allotted on first come first served basis. Textiles Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for each country/category if necessary. If on a particular day, the total quantity applied for is more than the quantity available for distribution, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation amongst applications received on the day.

(10) Public Sector Entitlement (PSE) System :

(i) For corporations under the control of Central/State Governments and Apex Cooperatives of Central/State level who have manufacturing units there shall be an allocation of 3 per cent.

(ii) The Textile Commissioner shall assess the eligibility and capacity of such applicants.

(iii) The E.D., TEXPROCIL shall allot quota in accordance with the assessment made by the Textiles Commissioner.

(iv) The provisions of validity and extension of validity of PSE shall be the same as that for CRE.

(11) First Come-First Served (FCFS) System :

(i) Quantities shall be allocated on first come first served basis against EMD/BG.

(ii) Textile Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for each country/category under FCFS by an exporter in one day if the Textile Commissioner feels it necessary to do so.

(iii) Allotments under this system shall be valid for a period of 90 days, but not beyond 31st December of the allotment year subject to Clause 14.

(iv) The rate of EMD/BG shall be 5 per cent of FOB value applied for.

(v) On a particular day when available quantities are oversubscribed, eligibility shall be decided on the basis of higher unit value realisation among the applications received on this particular date.

(12) Manufacturer Exporter Entitlement System :

(i) Allotment under this system shall be made to Manufacturer-Exporters who have undertaken substantial modernisation and upgradation of technology in their plant and machinery during the base period. Guidelines and norms of eligibility will be separately notified by the Textile Commissioner.

(ii) The Textile Commissioner shall be the authority to decide the eligibility and production capacity of the Manufacturer-Exporters within the meaning of this system.

(iii) Allotment under this system shall be only in respect of goods manufactured in the production unit modernised and upgraded as determined by the Textile Commissioner.

(iv) Available quantity will be distributed by the Executive Director, TEXPROCIL on the basis of production capacity of eligible applicants as decided by the Textile Commissioner. Each eligible applicant may opt for a maximum of 15 country/categories for the above allotment.

(v) When the quantity allotted to any applicant in any one country/category is too small (as decided by the Textile Commissioner), the Executive Director, TEXPROCIL shall reallocate such quantity in such a manner that the quantities allotted to each of the applicants is reasonable enough.

(vi) Allotments under this system are not transferable. The allottees shall, at the time of certification of shipments submit an affidavit that goods being exported haye been manufactured in his production unit so modernised/upgraded.

(vii) Floor prices in respect of categories for allotments under this system shall be separately prescribed by the Textile Commissioner.

(13) Floor Price

Under all the five systems, Textile Commissioner shall fix floor prices. While fixing floor price, the average unit value realisation during the base period and the fluctuations in exchange rates shall be taken into consideration.

(14) Certification/Shipment

(i) The validity of certification by TEXPROCIL under all systems of allotment shall be for a period of 30 days.

(ii) In all systems of allotment, extension of the validity period of certification can be extended by another 30 days by TEXPROCIL by furnishing to TEXPROCIL an additional EMD/BG of 50 per cent of the rates mentioned in para 8(iii) above and para 11(iv) of FCFS for the quantity for which such extension is sought. All application for extension must reach TEXPROCIL during the period of validity of the original certification.

(iii) Neither the original certification nor the extended certificate shall be valid beyond 31st December.

(15) Slow-moving items

(i) An item shall be notified as slow-moving if during each of the years of the base period the utilisation has been less than 75 per cent of the base level for the corresponding years. The ED, TEXPROCIL shall notify the items that are slow-moving latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notifications, the following relaxations shall be ordinarily available for a slow-moving item :

(a) There shall be no stipulation of compulsory L.C. under FCFS.

(b) The rate of EMD/BG shall be @ 1% FOB Value.

(iii) The above relaxations may, however, be withdrawn without advance notice.

(16) (i) The BG of an exporter who exports less than 90 per cent of the export entitlement in a particular period under PPE, FCFS, CRE or during the extension of PPE including PPT, FCFS, CRE of PSE shall be forfeited as hereinafter provided. The ED, TEXPROCIL shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75 per cent in case of fast moving items and upto 50 per cent in case of slow-moving items proportionate to the shortfall in utilisation. If utilisation is less than the above, the EMD/BG shall be forfeited in full.

(ii) For this purpose, utilisation shall be calculated on each system and each period separately for each country/category. In case of extension of validity/certification, percentage utilisation shall be computed separately for the quantity for which certification/validity has been extended.

(iii) All forfeited EMD/BG shall be deposited into a Public Deposit account of Government to be operated in such manner as Government notifies from time to time.

(iv) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise these fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlement in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

(v) A notice for show cause shall be issued before forfeiture.

(17) Appeal against forfeiture of EMD/BG.

An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by ED, TEXPROCIL under para 16 above may appeal before the Textile Commissioner within 15 days of receipt of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of such representation give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he may also take into consideration force majeur conditions if any. He may also take into consideration the promptness in surrendering of unutilised entitlements during their validity. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officer designated by him. He shall also give an opportunity for personal hearing if requested for the appellant.

(18) Handloom Products.

Notwithstanding anything contained anywhere above, quota for Handloom products shall be allotted on the following basis :

System	Percentage
PPE	40%
FCFS	30%
CRE	30%

(ii) Conditions for PPE and FCFS shall ordinarily be applicable for Handloom quota mutatis mutandis.

(iii) There shall be a Handloom Quota Administrative Committee to Oversee the implementation of this Policy, including granting of relaxations to the provisions of the policy so far as applicable for Handloom products. With the following composition :

(a) DS/Dir. (Exports)—Chairman.

(b) ED (Texprocil)—Member

(c) ED HEPC—Member

(d) Textile Commissioner or his representative—Member.

(e) Secretary Textiles Committee or his representative—Member.

(f) JDC (HL)—Member.

(iv) Upto 10% of FCFS quota may be reserved for PSF by the HQAC.

(19) Clearance by Customs

(i) Products under restraint :

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the TEXPROCIL or any other appropriate agency designated for this purpose.

(ii) Handloom Products :

In so far as export of all handloom fabrics/made-ups corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection Endorsement' by the Textile Committee in Part-2 of the combination form.

(iii) Made-ups falling under "India item" :

In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for export to USA, EEC, Canada, Austria, Sweden, Finland and Norway on the basis of appropriate certificate issued by the Officers of the Development Commissioner (Handicrafts).

(20) Export Certificate, Certificate of Origin and Visa.— The following certification required under the relevant Bilateral Textile Agreement will be issued by "TEXPROCIL" or any other body duly authorised in this behalf.

(i) USA :

Visa for all millmade/powerloom fabrics and made-ups consignments of commercial value and visa for handloom made-ups excluding floor coverings.

(ii) EEC

(a) Export Certificate and certificate of origin for all restrained items of powerloom/millmade origin.

(b) Certificate of origin for non-restrained items of powerloom/millmade/knitted origin.

(iii) CANADA:

Export Certificates for worsted fabrics of millmade/powerloom/knitted origin which are subject to restraint, except for consignments valued at less than Canadian dollar 500.

(iv) AUSTRIA:

Export certificates for fabrics/made-ups of powerloom/millmade origin subject to surveillance.

(v) SWEDEN:

Export Certificate for all made-ups of millmade/powerloom/knitted/crocheted origin under quantitative restraint.

(vi) NORWAY:

Export Certificate/Certificate of Origin in respect of bedlien of powerloom and millmade origin under Category 7

(21) Handloom Exempt Certificate

In the case of export of all handloom fabrics/made-ups corresponding to restrained items to Canada, cotton handloom textile fabrics/made-ups to Austria all handloom fabrics and made-ups to EEC and the USA, handloom made-ups to Sweden and handloom bedlinen to Norway, the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the Bilateral Agreements for such products.

(22) Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice

(23) The addresses of the concerned Export Promotion Councils and the Offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :

1. Office of the Textile Commissioner,
New C.G.O. Building, New Marine Lines,
Post Box No. 11500,
Bombay-400020.

2. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
Engineering Centre,
9th Floor, 9 Mathew Road, Bombay-400004.

3. Silk & Rayon Textiles Export Promotion Council,
Resham Bhavan, Veer Nariman Road, Bombay-400020.

4. The Wool & Woollen Export Promotion Council,
612/714, Ashoka Estate, 24 Barakhamba Road, New Delhi-110001.

5. Carpet Export Promotion Council,
Shop No. B-115, Sector XVIII,
Post Office Noida, Distt. Ghaziabad.

6. Development Commissioner (Handicrafts),
West Block No. 7, R. K. Puram, New Delhi-110066.

Textiles Committee,
"Crystal", 79-Dr. Annie Besant Road,
Worli, Bombay-400018.

Sd/-
P. SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990